2019 DeHC 502707_2

संख्या डी-26016/19/2019/सामान्य
भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय

पश्चिमी खंड 7, राम कृष्ण पुरम,
नई दिल्ली - 110066
दिनांक: 15.10.2019

प्रति
सभी संबंधित को

विषयः KAREL EPABX सिस्टम टेलीफोन/इण्टरकॉम के वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए E-Procurement (CPP Portal) के माध्यम से पुन: निविदा आमंत्रित करने बावत।

महोदय,

इस कार्यालय में प्रयोग हो रहे KAREL EPABX सिस्टम टेलीफ़ोन/इण्टरकॉम उपकरणो की रिपेयर/रखरखाव के लिए वार्षिक अनुबंध किया जाना था, जिसको प्रशासनिक कारणो से रद किया जाता है अत: सभी संबन्धित एजेंसियों से अनुरोध है कि कार्यालय मे उपकरणो का निरीक्षण कर पुनः इन उपकरणों के वार्षिक रखरखाव के लिए CPP-Portal के माध्यम से अपनी दरें On or Before 24.10.2019 दोपहर 12:00 बजे तक भिजवाने की कृपा करें। तकनीकी निविदाए दिनांक 25.10.2019 को साँय 2:30 बजे समिति द्वारा खोली जाएगी। इसके बाद तकनीकी क्वालिफाइड एजेंसियों की वित्तीय बीड खोली जाएगी जिसके लिए एजेंसियों को समय पर सूचित किया जाएगा। अनुबंध संलग्न नियम एवं शर्तों पर होगा। उक्त निविदा कार्यालय की वैबसाइट www.handicrafts.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है।

15/10/19
(रमेश चन्द)
सहायक निदेशक(सामान्य अनुभाग)

<u>मद का विवरण</u>

क्रम संख्या	विवरण	दरें (रुपयों में)
1.	KAREL 1 PG-100 EPABX मशीन एवं टेलीफोन/इण्टरकॉम उपकरणो की कलपुरजे सहित की वार्षिक रिपेयर / रखरखाव का व्यय	
2.	फूल डे मकेनिक का वेज	

नोटः- जीएसटी/कर का स्पष्ट रूप में उल्लेख करें कि यह दर में शामिल है अथवा अतिरिक्त है।

Signature of Authorized Person

With Stamp & Date

<u>EPABX सिस्टम इण्टरकॉम सिस्टम एवं टेलीफोन उपकरणों के वार्षिक रखरखाव के अनुबंध हेतु</u>

<u>नियम एवं शर्तें।</u>

1. निविदा 2 बिड़ सिस्टम के अनुसार तकनीकी तथा वित्तीय अलग-अलग अपलोड की जाये।
2. एजेन्सी का कार्यालय दिल्ली NCR में होना अनिवार्य हैं।
3. नियमानुसार कर संबंधी औपचारिकताएं गत 3 वर्ष की पूरी की गई, प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड करें।
4. निविदा के साथ Account Officer (Hqrs) O/o The Development Commissioner (Handicrafts), New Delhi के नाम रुपये 10000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंक गारण्टी/ बैंकर चैक की प्रति बतौर EMD प्रस्तुत करें, तथा डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंक गारण्टी/ बैंकर चैक फिजिकल रूप में On or Before **24/10/2019 को दोपहर 12:00** बजे तक कार्यालय में जमा कराएं अन्यथा इसके बिना निविदा रद्द मानी जाएंगी। जो कि उचित कार्यवाही के बाद वापस कर दी जाएगी।
5. उक्त अनुबंध comprehensive आधार पर होगा जिसमे repair के दौरान सभी कलपुरजे तार आदि शामिल होगा।
6. फर्म द्वारा पिछ्ले तीन वर्षों में सरकारी विभागों / पीएसयू में किए गए अनुबंध की प्रति प्रस्तुत करें।
7. उक्त उपकरणों की देखरेख के लिए सर्विस मकेनिक को कार्यालय में प्रतिदिन 9.30 से साँय 6.00 बजे तक उपस्थित रखना होगा। जिसके लिए संबन्धित शासकीय संस्था से डिप्लोमा आदि की प्रति प्रस्तुत करें।
8. उपकरणों की देखरेख के लिए सर्विस **<u>मकेनिक को (skilled)</u>** वेज सरकार द्वारा निर्धारित वेज से कम देने वाली एजेंसी पर विचार नहीं किया जाएगा।
9. EPABX सिस्टम इण्टरकॉम एवं टेलीफोन में लगने वाले पार्ट उसी कंपनी के होने चाहिए जिस कंपनी के उपकरण हैं।
10. निम्न दर अथवा किसी भी दर को निरस्त करने तथा नियम एवं शर्तों में संशोधन करने का अधिकार कार्यालय में सक्षम अधिकारी को होगा।
11. जिस फर्म की दरें अनुबंध हेतु स्वीकृत होंगी, उसे 5 दिन के अन्दर लेखा अधिकारी, मुख्यालय, विकास आयुक्त(हस्तशिल्प) कार्यालय, नई दिल्ली के नाम परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के रूप में रूपये 15,000/- की बैंक गारंटी / एफ0डी0आर0 / डीडी प्रस्तुत करनी होगी, जो कि अनुबंध अवधि के 2 माह के बाद तक वैध होगी। उक्त बैंक गारण्टी/ डिमाण्ड ड्राफ्ट अनुबंध समाप्त होने पर संबन्धित एजेंसी को पैनल्टी/देय यदि कोई होगा, इसमें से काटते हुए वापस कर दी जाएगी तथा उक्त बैंक गारण्टी/ डिमाण्ड ड्राफ्ट पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

12. भुगतान संतोषजनक कार्य के उपरान्त ही तिमाही आधार पर किया जाएगा।
13. संतोषजनक कार्य न होने पर अथवा नियम एवं शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर किसी भी समय अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा तथा भविष्य में किसी भी अनुबंध के लिए उस फर्म की पात्रता स्वीकार नहीं की जाएगी।
14. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
15. किसी विवाद के मामले का दिल्ली न्यायालय में निपटान किया जाएगा।
16. साधारणतया यह अनुबंध दो वर्ष के लिए होगा तथा एजेंसी द्वारा संतोषजनक सेवाओं को ध्यान में रखते हुए सेम दर तथा नियम एवं शर्तों पर अनुबंध अगले एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता हैं।
17. इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, कि एजेंसी ब्लैक लिस्ट नहीं हैं।
18. चयनित एजेंसी को 100 रूपये के स्टेम्प पेपर पर कार्यालय के साथ अनुबंध एग्रीमेंट करना होगा।